**कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें,म0प्र0 भोपाल**

क्रमांक/विधि/187/2017/522 भोपाल,दिनांक06 सितम्बर, 2017

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक
   सहकारी संस्थायें,
   समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
2. उप/सहायक पंजीयक
   सहकारी संस्थायें,
   समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

**विषयः–मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58–ख के अंतर्गत सोसायटियों को हुए नुकसान को पूरा करने के संबंध में कार्यवाही बावत ।**

---

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58–ख में किसी सोसायटी के गठन या प्रबंधन से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा सोसायटी को पहुंचाये गये नुकसान की वसूली के लिए विस्तृत प्रावधान किये गये हैं । उक्त प्रावधानों के तहत सोसायटी को हुए नुकसान की वसूली की प्रक्रिया को युक्तियुक्त समय में पूरा करने और प्रभावी तरीके से संपादित करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) **सोसायटी को हुए नुकसान की जांच/प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना** –

यदि किसी सोसायटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या परिसमापन के दौरान या अन्यथा पंजीयक, सहकारी संस्थायें के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे ऐसी सोसायटी के गठन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है या सौंपा गया था या समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान सभापति, सचिव, संचालक मण्डल के सदस्य, सोसायटी के अधिकारी या कर्मचारी ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या किसी सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी घटित की है या कोई हानि पहुंचाई है या सोसायटी के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया है या उस धन या अन्य संपत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है तो सोसायटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या परिसमापन करने वाला अधिकारी अथवा अन्यथा इस तथ्य के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी द्वारा अविलम्ब इस विषय पर एक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और संलग्न प्रारूप में विवरण अंकित करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा अथवा यदि वह स्वयं सक्षम अधिकारी है, तो सोसायटी से हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करेगा ।

2/ सोसायटी से हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन में उन तथ्यों को विस्तार से अंकित किया जाएगा कि संबंधित अवचारी द्वारा किस प्रकार से और कितनी आर्थिक क्षति सोसायटी को पहुंचाई गयी है ।

3/ इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के द्वारा उन समस्त दस्तावेजों की प्रतियां सोसायटी से प्राप्त की जाएगी जो सोसायटी को पहुंचाई गई हानि को एवं अवचारी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हों । यदि ऐसे रिकार्ड के खुर्दबुर्द होने की आशंका हो तो अपने अधिकार में लेने/जप्त करने के लिए निर्धारित प्रकिया अनुसार कार्यवाही संपन्न की जाएगी, अथवा विकल्प के रूप में ऐसे दस्तावेजों की छाया प्रतियों पर सोसायटी के अधिकृत पदाधिकारी से प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कराकर उन्हें प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

4/ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन में संबंधित अवचारीगणों के नाम एवं पद के साथ-साथ सुस्पष्ट रूप से ऐसे अवचारीगणों के स्थाई निवास का पता भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि ऐसे अवचारीगणों के पद पर न रहने पर भी उन्हें सूचना पत्र तामील कराया जा सके।

## (2) <u>सोसायटी को हुए नुकसान को पंजीबद्ध किया जाना एवं उसकी सुनवाई</u>

अधिनियम की धारा 58-ख के तहत प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में अभी भी कई कतिपय व्यक्तियों के मन में यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि उक्त प्रकरणों का निराकरण किस प्रकिया के तहत होगा एवं उक्त प्रकरणों में सुनवाई एवं उस पर आदेश पारित करने की प्रकिया क्या होगी । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 58-ख के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार कोई भी आदेश जारी करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना आवश्यक है । युक्तियुक्त अवसर देने का तात्पर्य अवचारी व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं उसे सुने जाने से है । इस प्रकरण को धारा 64 के तहत विवादों के सुनवाई के लिए निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सुना जाना आवश्यक नहीं है। अधिनियम की धारा 53 के तहत किसी सोसायटी को अधिग्रहित करते समय जो प्रकिया अपनाई जाती है वही प्रकिया अधिनियम की धारा 58-ख के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु अपनाई जानी चाहिए । युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के प्रावधान धारा 53, 56 (3) एवं 58-ख में एक जैसे हैं । अतएव तदनुसार सभी प्रावधानों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर एक जैसी पद्धति से ही दिया जाना आवश्यक है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

धारा 58–ख के तहत विभिन्न प्रकरणों का निराकरण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर उन्हीं अधिकारियों के द्वारा किया जाए जो कि अधिनियम की धारा 53, 56 (3) आदि से संबंधित प्रकरणों का निष्पादन करते हैं ।

2/ विशेष प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत 03 दिवस के अंदर सक्षम अधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से प्रकरण को दायरा पंजी में पंजीबद्ध किया जावे ।

3/ प्रकरण में सुनवाई की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुए सभी अवचारीगणों को विशेष वाहक के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना पत्र तामील किया जाए । सूचना पत्र के साथ विशेष प्रतिवेदन एवं अवचार से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति भी भेजी जावे ।

4/ सुनवाई हेतु नियत तिथि पर उपस्थित होने के लिए संबंधित अंकेक्षक/निरीक्षण अधिकारी एवं संस्था प्रबंधक को भी निर्देशित किया जावे ।

5/ आवश्यक होने पर संबंधित संस्था को यह भी निर्देशित किया जावे कि वह नियत तिथि पर प्रकरण से संबंधित अपना मूल अभिलेख लेकर उपस्थित हो ताकि सक्षम अधिकारी छायाप्रतियों का मूल अभिलेख से मिलान कर अपनी संतुष्टि कर सके । सक्षम अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो वह संबंधित सोसायटी से अन्य संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं ।

6/ उक्त सूचना पत्रों पर अवचारी गणों को अपना प्रतिउत्तर और मौखिक कथन यदि कोई हो तो उसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए । अवचारी गणों के द्वारा अपने बचाव में यदि कोई लिखित उत्तर अथवा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम अधिकारी उसे स्वीकार कर सकेंगे तथा उस पर विचार कर सकेंगे ।

7/ अवचारी अधिकारी/कर्मचारी को इस प्रकार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण विचारोपरांत अपने निष्कर्षो को अभिलिखित करते हुए बोलता हुआ आदेश जारी किया जाए तथा पारित किये गये आदेश की एक प्रति संबंधित अवचारी, संबंधित संस्था, वित्तदायी संस्था एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल को भी अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित कर प्रेषित किया जाए ।

(4) **जारी किये गये आदेश का निष्पादन –**

सक्षम अधिकारी के द्वारा यदि किसी अवचारी के विरूद्ध राशि वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तो उक्त आदेश में यह निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि अवचारी के द्वारा निर्धारित/आदेशित समयावधि में राशि जमा न करने पर संबंधित संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक/संचालक मण्डल उक्त आदेश के कियान्वयन/निष्पादन के लिये म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 85 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं वसूली अधिकारी सहकारी संस्थायें के समक्ष प्रकरण दायर कर वसूली सुनिश्चित करें ।

2/ आदेश पारित करने हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा एक पंजी पृथक से संधारित की जावेगी, जिसमें प्रकरण कमांक, पारित आदेश दिनांक, अवचारियों के नाम जिनके विरूद्ध वसूली का आदेश जारी किया गया है तथा वसूल की जाने वाली राशि एवं वसूली दिनांक आदि का उल्लेख होगा ।

3/ सक्षम अधिकारी के द्वारा समय-समय पर इस तथ्य की मानीटरिंग भी की जावेगी कि उनके द्वारा आदेशित राशि की वसूली की स्थिति क्या है । वसूली में शिथिलता बरतने पर संबंधित सोसायटी के जिम्मेदार अधिकारी/पदाधिकारी के विरूद्ध सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी यथोचित कार्यवाही कर सकेंगे ।

(5) **अधिनियम की धारा 58-ख के तहत प्रकरणों की सुनवाई के समय संबंधित सोसायटी का दायित्व –**

अधिनियम की धारा 58-ख के तहत प्रकरणों की सुनवाई के समय संबंधित सोसायटी के निम्नानुसार दायित्व होंगे :-

1. सक्षम अधिकारी के द्वारा सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किए जाने पर सोसायटी के ऐसे पदाधिकारी/अधिकारी को सुनवाई के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसके पास प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं या कोई ऐसी कोई जानकारी है जिसे प्रस्तुत कराया जाना सक्षम अधिकारी आवश्यक समझें ।

2. धारा 58-बी के तहत प्रकरण में अवचारी अधिकारी/कर्मचारी के पते एवं संपत्ति से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सुनवाई के पूर्व अथवा सुनवाई के दौरान यदि ऐसे कर्मचारी/पदाधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी का विवरण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

(6) **जारी किए गए आदेश का निष्पादन सुनिश्चित करना –**

ऐसे मामलों में आदेश के जारी होने के उपरांत न्यायालय वसूली अधिकारी के समक्ष प्रकरण में विहित राशि की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 85 में वर्णित प्रकिया के तहत प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे तथा न्यायालय वसूली अधिकारी, जिसे कि अतिरिक्त तहसीलदार के अधिकार प्राप्त हैं ,आदेश का अनुपालन हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे ।

(7) **निर्णय के पूर्व कुर्की –**

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58–ख (4) में यह भी प्रावधान है कि यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उसके विरूद्ध किये जाने वाले किसी आदेश में विलम्ब या बाधा पहुंचाने के आशय से कार्य करने वाला हो या अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला हो तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति की कुर्की के निर्देश भी दिये जा सकते हैं । सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरणों में सुनवाई के समय इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा ।

(8) **समय–सीमा–**

1.अधिनियम की धारा 58–बी के तहत सोसायटी को हुई हानि से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण को पंजीबद्ध कर अधिकतम 3 माह की अवधि में सुनवाई को पूरा किया जाएगा और सुनवाई के उपरांत समुचित आदेश जारी किया जाएगा ।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश का अनुपालन अवचारी व्यक्तियों के द्वारा आदेश में निर्धारित समयावधि में न किए जाने की स्थिति में ऐसी समयावधि समाप्त होने के उपरांत संबंधित सोसायटी के द्वारा 15 दिवस की अवधि में आदेश के निष्पादन हेतु न्यायालय वसूली अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा । यदि सक्षम अधिकारी द्वारा सीधे न्यायालय वसूली अधिकारी को ऐसा कोई आदेश दिया गया हो तो न्यायालय वसूली अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश में वर्णित राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी ।

3.न्यायालय वसूली अधिकारी द्वारा आदेश के निष्पादन की कार्यवाही अर्थात अपचारी कर्मचारी की संपत्ति से हानि की वसूली की कार्यवाही उक्त

आदेश के प्राप्त होने के 3 माह की अवधि में पूर्णतः संपन्न कर ली जाएगी यदि किसी प्रकरण में इससे अधिक विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसे प्रत्येक प्रकरण में न्यायालय वसूली अधिकारी द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थायें को एक प्रतिवेदन प्रतिमाह प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उन परिस्थितियों को उल्लेख होगा जिनके कारण आदेश के निष्पादन की कार्यवाही संपन्न नहीं हुई है ।

उक्तानुसार आदेश का अनुपालन, आदेश में निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

6/09/17
(आशुतोष अवस्थी)
आयुक्त एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें,म.प्र.

कमांक/विधि/187/2017/522 भोपाल,दिनांक 06 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री सहकारिता, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्यालयीन अधिकारीगण, समस्त ।
4. प्रबंध संचालक, शीर्ष सहकारी संस्थायें, समस्त ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,समस्त।

6/9/17
आयुक्त एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें,म.प्र.

**प्रारूप**

| क. | आरोपी/अवचारी व्यक्तियों के नाम एवं पद | स्थाई पता | राशि | घटना का दिनांक | घटना का संक्षिप्त विवरण | आरोप से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

नोट- घटना का विस्तृत विवरण देने के लिए कृपया पृथक से सीट संलग्न करें ।

संपरीक्षक/निरीक्षण अधिकारी
के हस्ताक्षर, नाम व पद